जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना धामपुर **दिनांक 26.06.2025**

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 241/25 धारा 109(1)/118(1)/352/351(3) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.06.2025 को वादिया ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त अमित कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी नौरंगाबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के पति के साथ गाली-गलौच करते हुए धारदार छुरे से वार कर वादिया के पति को गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा अभियुक्त अमित पूर्व मे भी वादिया के पति व बच्चो को जान से मारने की धमकी देता रहता था । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 241/25 धारा 109(1)/118(1)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही विवरण-

थाना धामपुर पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त अमित कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी नौरंगाबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर को घटना मे प्रयुक्त छुरे सहित गिरफ्तार किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अमित कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी नौरंगाबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण-

घटना मे प्रयुक्त एक छुरा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 प्रदीप कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
2.मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
3.आरक्षी विशाल कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
4.आरक्षी अमित कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर दिनांकः- 26.06.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 452/323/504/506/34/427 भादवि के आरोपी 02 अभियुक्तो को 03 वर्ष के कारावास व कुल ₹2,000/- के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

दिनांक 08.08.1992 को वादी ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्त इकबाल पुत्र फजलू खां व नगमा पत्नी इकबाल निवासीगण मौ0 बांसफोडान थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर सहित 04 अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर मे घुसकर गाली-गलौच करते हुए लाठी/डन्डो व चाकू आदि से वार कर वादी को घायल किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 423/1992 धारा 452/323/324/429/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया। थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे विवेचना उपरांत आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

उपरोक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 26.06.2025 को मा0 न्यायालय जेएम, नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 423/1992 धारा 452/323/504/506/34/427 भादवि के आरोपीगण 1.इकबाल पुत्र फजलू खां व 2.श्रीमती नगमा पत्नी इकबाल निवासीगण मौ0 बांसफोडान थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 03-03 वर्ष के कारावास व कुल 2,000/- रूपये (प्रत्येक को 01-01 हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम पताः-

1.इकबाल पुत्र फजलू खां निवासी मौ0 बांसफोडान थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2.नगमा पत्नी इकबाल निवासी मौ0 बांसफोडान थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना कोतवाली शहर दिनॉक 26.06.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने 05 अभियुक्तों को चोरी की गयी 03 मोटरसाइकिल, 01 मोटरसाइकिल कटी हुई स्थिति में इंजन मय पार्टस आदि सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 26.06.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1.अमित चौधरी पुत्र मुन्नु चौधरी निवासी मौ0 प्रतापनगर थाना रामराज जनपद मुजफ्फरनगर 2– हरदेव पुत्र शोभा सिंह नि0 शहजादपुर थाना हस्तिनापुर मेरठ को चोरी की 02 मोटरसाइकिल (यूपी 20 सीजे 8706) व (यूपी 20 बीजे 1597) सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशादेही पर इनके साथी अभियुक्तगण 3– सचिन पुत्र सतीश ग्राम जलालपुर नीला थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ 4– मोनू सिहं पुत्र ऋषिपाल सिहं नि0 ग्राम तारापुर थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ 5. प्रमोद कुमार पुत्र धीर सिहं नि0 ग्राम लतीफपुर थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 01 मोटरसाइकिल हीरो स्पलेण्डर(यूपी 20 एक्स 0110), एक प्लास्टिक बोरे में मोटरसाइकिल का इंजन पार्टस व मोटरसाइकिल खोलने के उपकरण बरामद किये गये। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त बरामद मोटरसाइकिलों के संबंध में थाना कोतवाली शहर पर 04 अभियोग (482/25, 543/25, 547/25 व 550/25 धारा 303(2) बीएनएस) पंजीकृत है। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त सभी अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्तगणों से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त हरदेव व अमित उपरोक्त बिजनौर के विभिन्न स्थानों (रोडवेज बस स्टैण्ड, अस्पताल, मॉल व अन्य मुख्य स्थानों) से चोरी करते थे। चोरी की गयी मोटरसाइकिलों को ये दोनों अभियुक्तगण सचिन, मोनू व प्रमोद (जोकि मोटरसाइकिल मिस्त्री का कार्य करते है) को कम दाम में बेच देते थे। अभियुक्तगण सचिन, मोनू व प्रमोद खरीदी गयी मोटरसाइकिलों को काटकर उनके पुर्जो को अलग कर सस्ते दामों पर विक्रय कर देते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.अमित चौधरी पुत्र मुन्नु चौधरी निवासी मौ0 प्रतापनगर थाना रामराज जनपद मुजफ्फरनगर
2.हरदेव पुत्र शोभा सिंह नि0 शहजादपुर थाना हस्तिनापुर मेरठ
3.सचिन पुत्र सतीश ग्राम जलालपुर नीला थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ
4.मोनू सिहं पुत्र ऋषिपाल सिहं नि0 ग्राम तारापुर थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ
5.प्रमोद कुमार पुत्र धीर सिहं नि0 ग्राम लतीफपुर थाना हस्तिनापुर जनपद मेरठ

बरामदगी का विवरण–

1. मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस (यूपी 20 सीजे 8706)– मु0अ0सं0 543/25 से संबंधित
2. मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस (यूपी 20 बीजे 1597)– मु0अ0सं0 547/25 से संबंधित
3. मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस (यूपी 20 एक्स 0110)– मु0अ0सं0 482/25 से संबंधित
4. मोटरसाइकिल (यूपी 15 डीबी 8056) का इंजन– एचए11ईडीएनएचएच15064 मु0अ0सं0 550/25 से संबंधित
5. घटना में प्रयुक्त उपकरण (एक बोल्ट खोलने वाली चाबी, 03 पाने व एक टामी)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मोनू, प्रमोद, सचिन व हरदेव उपरोक्त –

1.मु0अ0सं0 482/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 शहर बिजनौर
2.मु0अ0स0 543/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 शहर बिजनौर
3. मु0अ0स0 547/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 शहर बिजनौर
4. मु0अ0स0 550/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 शहर बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमित उपरोक्त –

1.मु0अ0सं0 482/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 शहर बिजनौर
2.मु0अ0स0 543/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 शहर बिजनौर
3.मु0अ0स0 547/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 शहर बिजनौर
4.मु0अ0स0 550/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना को0 शहर बिजनौर
5.मु0अ0स0 05/16 धारा 25 आर्मस एक्ट व 398/401 भादवि थाना फलावदा मेरठ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 दीपक कुमार थाना को0 शहर बिजनौर
2.उ0नि0 बबलू सिंह थाना को0 शहर बिजनौर
3.उ0नि0 ब्राईट फ्लावर थाना को0 शहर बिजनौर
4.का0 1767 विवेक थाना को0 शहर बिजनौर
5.का0 1319 अर्पित थाना को0 शहर बिजनौर
6.का0 1198 संदीप थाना को0 शहर बिजनौर
7.का0 412 धनुज थाना को0 शहर बिजनौर
8.का0 1084 मोहित थाना को0 शहर बिजनौर
9.का0 2041 राजीव थाना को0 शहर बिजनौर
10.का0 1599 गौरव थाना को0 शहर बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नजीबाबाद दिनॉक 26.06.2025

थाना नजीबाबाद पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 215/25 धारा 109(1)/352 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 23.06.2025 को वादी वसीम पुत्र अब्दुल रशीद निवासी ग्राम घिसटपुरी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी अभियुक्तगण 1.मुजम्मिल पुत्र इरशाद 2.शावेज पुत्र इसरार निवासीगण ग्राम पर्वतपुर मखदूमपुर उर्फ घिसटपुरी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पत्नी के साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से पेट मे धारदार चाकू से वार किया, जिससे वह घायल हो गयी। तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 215/25 धारा 109(1)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 26.06.2025 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.मुजम्मिल पुत्र इरशाद 2.शावेज पुत्र इसरार निवासीगण ग्राम पर्वतपुर मखदूमपुर उर्फ घिसटपुरी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त दो घरेलू छुरी बरामद की गयी। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी का विवरण–

दो घरेलू छुरी

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.मुजम्मिल पुत्र इरशाद नि0 ग्राम पर्वतपुर मखदूमपुर उर्फ घिसटपुरी थाना नजीबाबाद बिजनौर
2.शावेज पुत्र इसरार निवासी ग्राम पर्वतपुर मखदूमपुर उर्फ घिसटपुरी थाना नजीबाबाद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 नक्षत्रपाल सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2.हे0का0 459 प्रवीण कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3.हे0का0 615 विनय सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
4.का0 2484 संदीप कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नूरपुर दिनॉक 26.06.2025

थाना नूरपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 202/25 धारा 109(1)/126(2)/309(6)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 09.06.2025 को वादी श्री अलीमुद्दीन पुत्र जहीरूद्दीन निवासी ग्राम पुरैनी दुर्वेशपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 08.06.2025 की रात्रि में वादी का भाई रहीमुद्दीन कस्बा नूरपुर से दूध बेचने के पश्चात मोटरसाइकिल से अपने घर वापस आ रहा था, रास्ते में 03 अज्ञात लडको द्वारा वादी के भाई की मोटरसाइकिल रोककर उसपर जान से मारने की नियत से हमला किया व दूध के कैन के ढक्कन से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से वादी के भाई का मोबाईल गायब है। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 202/25 धारा 109(1)/126(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.विशाल पुत्र हेमराज निवासी ग्राम बिकनपुर थाना मुण्डापांडे जनपद मुरादाबाद 2.सुरेन्द्र पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम भटावली थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद 3.सोनू पुत्र सिलोन निवासी मौ0 प्रेमनगर थाना सिविल लाईन जनपद मुरादाबाद के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही–

आज दिनांक 26.06.2025 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.विशाल पुत्र हेमराज निवासी ग्राम बिकनपुर थाना मुण्डापांडे जनपद मुरादाबाद 2.सुरेन्द्र पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम भटावली थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद को 01 तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल सहित गिरफ्तार किया गया। अभियोग में धारा 309(6)/317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। शेष अभियुक्त सोनू उपरोक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.विशाल पुत्र हेमराज निवासी ग्राम बिकनपुर थाना मुण्डापांडे जनपद मुरादाबाद

2.सुरेन्द्र पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम भटावली थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 श्री शिवा नैन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2.उ0नि0 श्री रजत राणा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3.आरक्षी 1287 नीरज कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
4.आरक्षी 1893 अंकित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
5.आरक्षी 2482 अक्षय कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना चांदपुर **दिनांक 26.06.2025**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 370/25 धारा 3(5)/109(1)/351(3) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.06.2025 को वादी ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.योगेन्द्र पुत्र छतर सिंह, 2.अभय कुमार उर्फ वंश पुत्र योगेन्द्र, 3.सुरभि पुत्री योगेन्द्र निवासीगण ग्राम रूकनपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा खेत पर खाद डालने गए वादी के भाई पर जान से मारने की नियत से सरिया, कुल्हाडी, दराती आदि से वार कर वादी के भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वादी द्वारा अपने भाई को बचाने के दौरान अभियुक्त अभय कुमार उर्फ वंश उपरोक्त द्वारा वादी के उपर तमन्चे से फायर किया गया जिसमे वादी बाल-बाल बच गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 3(5)/109(1)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 26.06.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त योगेन्द्र पुत्र छतर सिंह निवासी ग्राम रूकनपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक कुल्हाडी को बरामद किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

योगेन्द्र पुत्र छतर सिंह निवासी ग्राम रूकनपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

घटना मे प्रयुक्त एक कुल्हाडी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.व0उ0नि0 प्रदीप कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2.मुख्य आरक्षी श्यामवीर सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3.आरक्षी मुकेश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना स्योहारा **दिनॉक 26.06.2025**

थाना स्योहारा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 232/25 धारा 62/64(1)/351(2) बीएनएस व 7/8 पोक्सो अधि0 से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 13.06.2025 को वादी ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्त मनु पुत्र संजय निवासी श्रमसराय थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत कार्य करने का प्रयास किया गया। उक्त घटना में अभियुक्त मनु का साथ अभियुक्त पिन्टू पुत्र धर्मपाल निवासी मझेडा थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा दिया गया तथा अभियुक्तों द्वारा वादी की पुत्री को धमकी दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 232/25 धारा 62/64(1)/351(2) बीएनएस व 7/8 पॉक्सो अधि0 पंजीकृत किया गया।

दिनांक 14.06.2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियोग से संबंधित अभियुक्त मनु पुत्र संजय उपरोक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही–

आज दिनांक 26.06.2025 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त पिन्टू पुत्र धर्मपाल निवासी मझेडा थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. पिन्टू पुत्र धर्मपाल निवासी मझेडा थाना नगीना जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 श्री अरूण कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2.आरक्षी 1613 रचित कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।